3384

[redacted]रतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 318008

प्रमाणित किया जाता है कि रूपये 10/–मात्र का यह स्टाम्प नकल संख्या 592/2017 ई0 के साथ संलग्न किया गया है, जो दिनांक 9/3/16 से बही नम्बर 1 की जिल्द नम्बर 6921 के सफे 223/234 के दस्तावेज नम्बर 3384 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसे आज दिनांक 14/9/17 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय सरधना जिला मेरठ अभिलेखागार से नकल के रूप में जारी किया गया है।

मिलान कर्ता
पुष्टी कर्ता

14/9/17

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

12

29/11/16

3384

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE -4 MAR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 824615

लीज–डीड

लीज–डीड अंकन 6,000/– रूपये वार्षिक, अवधि 30 वर्ष

स्टाम्प शुल्क अंकन 720/– रूपये

हम कि केदारनाथ एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट मुख्य कार्यालय ग्राम जसरतपुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वारा सचिव श्रीमती रीमा तोमर पत्नी श्री चान्दवीर सिंह निवासी टी–26 पल्लवपुरम फेज द्वितीय परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ (मोबाईल नम्बर 9761777549) प्रथम पक्ष लीजदाता।

एंव

कुसुम इन्टर नैशनल एकेडमी एतमादनगर अलीपुर द्वारा चेयरमैन श्री चान्दवीर सिंह पुत्र स्व० श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी टी–26 पल्लवपुरम फेज

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

क्रमांक 29

स्टाम्प का मूल्य 500

आदेश कुमार

S.V.-2/99

कल्याण, स्टाम्प संख्या (मेरठ)

01346

KAILASH ... PAL
Document Writer
Sardhana (Meerut)

[redacted]

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 093316

द्वितीय परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ द्वितीय पक्ष/लीज गृहिता।

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते है कि द्वितीय पक्ष एक शिक्षण संस्था है, जो निम्न सम्पत्ति में अपना शिक्षण कार्य करना चहाते है, जिसके लिये द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से अपनी इच्छा जाहिर की है कि वह अपनी निम्न सम्पत्ति किराये/लीज पर दे दें जिसको प्रथम पक्ष निम्न शर्तो के अनुसार द्वितीय पक्ष को अपनी भूमि देना तय किया है, प्रथम पक्ष निम्न भूमि का बैजरिये दान पत्र दिनांक 23.11.2015 इकरारी चान्दवीर सिंह जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 6758 के पेज 153/176 में नम्बर 16143 पर दर्ज है तथा जिसकी प्रथम पक्ष ने मान्य न्यायालय उपजिलाधिकारी सरधना वाद संख्या 23 धारा 143 ज0वि0 अधि0 केदारनाथ ऐजुकेशनल एण्ड चैरीटेबिल ट्रस्ट बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु/आबादी घोषित करा रखी है जिसके लिये पक्षकार निम्न शर्तो के अनुसार पाबन्द होंगे:–

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

क्रमांक 30 ...रु० 13766 ...पै० 50
स्टाम्प नं० ... के साथ प्रमाणित किया गया।
अमरेश जाखड़ स्टाम्प विक्रेता सरधना, मेरठ

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
		6,000.00	720.00	60	780.00	12

श्रीमती केदारनाथएजु0ए0चै0ट्रस्टद्वारा रीमा तोमर
पत्नी श्री चान्दवीर सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी टी 26 पल्लवपुरम 2 दौराला सरधना मेरठ
अस्थायी पता पैन कार्ड 0481एफ
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/3/2016 समय 2:35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रेम प्रकाश
उप निबन्धक सरधना
9/3/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता
श्रीमती केदारनाथएजु0ए0चै0ट्रस्टद्वारा रीमा तोमर
पत्नी श्री चान्दवीर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी टी 26 पल्लवपुरम 2 दौराला सरधना मेरठ

पट्टा गृहीता
श्री कुसुमइन्टरनैश0एके0एतमादनगर अलीपुर द्वारा चान्दवीर सिंह
पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह
पेशा व्यापार
निवासी टी 26 पल्लवपुरम 2 दौराला सरधना मेरठ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान कैलाश चन्द पाल द0ल0 सरधना मेरठ
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी
व अश्वनी सुरान पह0 3302239
प्रेमराज सुरान
पेशा अन्य
निवासी 81/3 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी मोदीनगर गा0बाद
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रेम प्रकाश
उप निबन्धक सरधना
9/3/2016

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 093318

प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि 8200/–आठ हजार दो सौ [redacted] वर्गमीटर अज खसरा नम्बरान 221 रकबई 1.1370 हैक्टेयर में से भूमि 8200 वर्गमीटर जिसमें बिल्डिंग स्कूल की बनी हुई है जिसकी सीमा पूरब में खेत अन्य व्यक्ति पश्चिम में रास्ता उत्तर में भूमि श्री चान्दवीर सिंह दक्षिण में रास्ता स्थित ग्राम एतमादनगर अलीपुर परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ का स्वामी काबिज और अधिकारी है जो उक्त सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण व हस्तांतरण आदि से मुक्त है, अतः प्रथम पक्ष ने अपने व अपने परिवार के अधिकतम लाभ व सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपनी उक्त सम्पत्ति को अंकन 6,000/– रूपये वार्षिक किराये/लीज पर द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष की अवधि के लिये निम्न शर्तो के आधार पर लीज पर दी है, अतः पक्षकारान निम्न शर्तो के पालन करने के पूर्ण जिम्मेदार रहेंगे।

1. यह कि पक्षकारो ने किरायेनामे की अवधि 30 वर्ष तय पायी है।
2. यह कि पक्षकारो के बीच लीज डीड किराया अंकन 6,000/– रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

मिलान कर्ता
पृष्ठी कर्ता

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

क्रमांक 31 रा० 01/3/16 रु० 50

स्टाम्प नं० 27 के साथ स्टाम्प किया गया।

अनका कुमार स्टाम्प विक्रेता सरधना मेरठ

पट्टा दाता

Registration No.: 3384 Year: 2,016 Book No.: 1

0101 केदारनाथएजु0ए0चै0ट्रस्टद्वारा रीमा तोमर

चान्दवीर सिंह

टी 26 पल्लवपुरम 2 दौराला सरधना मेरठ

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 093319

3. यह कि प्रथम पक्ष की सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष की किरायेदारी दिनांक 01.03.2016 से लागू होगी और यह लगातार 30 वर्षो तक चलती रहेगी, इसमे किसी पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष हर साल किराया अंकन 6,000/– रूपये सालाना किराया प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष ने लीज किराये पर दी जानी वाली सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को मौके पर कब्जा दे दिया है, जिसमें द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने शिक्षण कार्य से सम्बन्धित निर्माण आदि कराये कनैक्शन, नल व बिजली का ले या किसी विभार्ग आदि से स्वीकृति प्राप्त करे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
6. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति पर जो भी गृहकर अथवा लोकल टैक्स लगेगा उसको अदा करने की जिम्मेदारी किरायेदार द्वितीय पक्ष की होगी।
7. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष लगातार 30 वर्ष तक निर्धारित किराया अदा नही करता है तो प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह द्वितीय पक्ष को सम्पत्ति की किरायेदारी से बेदखल कर देगा और अपना किराया बजरिये

विलेख कर्ता

पक्षकार

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY

PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY

MANAGER

क्रमांक 32 दि० 01/3/16 रु० 50
लाइसेन्स नं० 54 ... सबसे प्रमाणित विक्रेता
आकाश कुमार स्टाम्प विक्रेता रजिस्ट्री मेरठ

पट्टा गृहीता

Registration No. : 3384 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 कुसुमइन्टरनैश0एके0एतमादनगर अलीपुर द्वारा चान्दवीर सिंह
चन्द्रपाल सिंह
टी 26 पल्लवपुरम 2 दौराला सरधना मेरठ
व्यापार

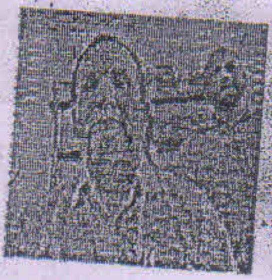

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 093320

अदालत वसूल कर लेगा ऐसी अवस्था में समस्त हर्जा खर्चा मय अदालती की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

8. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का रख रखाव की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी व आवश्यकतानुसार सम्पत्ति की मरमम्त रंगाई, पुताई, निर्माण आदि कर सकता है, जिस पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

9. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति की किरायेदारी में किसी भी अन्य व्यक्ति को शिकमी या साजी या जैली किरायेदार नहीं रखेगे यदि ऐसा करता है तो बिना लिहाज मियाद काबिले बेदखली होगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे सम्पत्ति के खराब होने या हानि होने की आशंका हो यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो बिना लिहाज मियाद काबिले बेदखली होगा।

11. यह कि मियाद किराया समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली कर देगा तथा यदि नियत अवधि के बाद लीज की अवधि बढायी जायेगी तो वह पंजीकृत लेखपत्र द्वारा बढायी जायेगी तथा उक्त निश्चित अवधि के पश्चात यह लीज स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

क्रमांक 33 तिथि 1/3/16 रू० 50

स्टाम्प नं. 29 के साथ संलग्न किया गया।

आकेश कुमार स्टाम्प विक्रेता सरधना, मेरठ

गवाह

Registration No.: 3384 Year: 2016 Book No.: 1

W1 कैलाश चन्द पाल द0ल0 सरधना मेरठ

दस्तावेज लेखक

W2 अश्वनी सुरान पह0 3302239

प्रेमराज सुरान

81/3 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी मोदीनगर गा0बाद

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UT 12. यह कि उक्त सम्पत्ति पर सरकार की तरफ से कोई टैक्स लगाया जाता है 50AA 051199
तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

अतः यह लीज डीड भली भांति सोच विचारकर अपनी स्वस्थ बुद्वि प्रसन्नचित बिना किसी दबाव बहकाव के लिखा दी कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे। इति

दिनांक : 09.03.2016 ई0 नौ मार्च सन् दो हजार सौलह।

मसविदा : कैलाश चन्द पाल, दस्तावेज लेखक सरधना जिला मेरठ।

KAILASH CHAND PAL
Document Writer
Sardhana (Meerut)

साक्षी :1

KAILASH CHAND PAL
Document Writer
Sardhana (Meerut)

साक्षी-2
Ashwani
Ashwani Suran
S/o PremRaj Suran
H.No 81/3 Double Story
Govind puri
Modinagar

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
PRINCIPAL

KUSUM INTERNATIONAL ACADEMY
MANAGER

आज दिनांक 09/03/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6921

पृष्ठ सं. 223 से 234 पर कमांक 3384

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश

उप निबन्धक सरधना

9/3/2016

मिलान कर्ता

पुष्टी कर्ता